डा0 कुसुम पन्त
अपर राज्य परियोजना निदेशक

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद'
राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान
शिक्षा संकुल, ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, रायपुर, देहरादून
दूरभाष : 0135-2781941, 42, 43 फैक्स : 0135-2781942
website : http://ssa.uk.gov.in
email – spd-ssa-uk@nic.in

सेवा में,

समस्त जिला परियोजना अधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : अ0रा0प0नि0 / 2161 / नि0का0–पी0ए0बी0 / 2013–14 दिनांक 28 दिसम्बर, 2013
विषय : वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 हेतु दिशा–निर्देशों का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 की पी0ए0बी0 बैठक दिनांक 20 मार्च, 2013 को नई दिल्ली में प्रस्तावित है। वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के सफल संचालन हेतु श्री नागेश सिंह आर्थिक सलाहकार,मानव संसाधन विकास मंत्रालय,स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार के संलग्न पत्र संख्या D.O No.11-12/2013-EE-13 दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, पत्र द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 की योजना बनाते समय महत्वपूर्ण सुझावों एवं अभ्यास से अवगत कराया गया है,पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या 5 निर्माण कार्य से सम्बन्धित है । बिन्दु संख्या 5 में इंगित किया गया है कि विशेषकर वर्ष 2014–15 हेतु Deffered किये गये निर्माण कार्यो यथा प्रा0वि0,उ0प्रा0वि0,शौचालय,अतिरिक्त कक्षा कक्ष इत्यादि के प्रस्तावो को मुख्य रूप से प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये जाये। साथ ही नये निर्माण कार्य केवल उसी दशा में स्वीकृत कियें जांयेगे यदि पूर्व मे लम्बित निर्माण कार्य 80 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके हों।

कार्ययोजना तैयार करते समय निम्न आवश्यक दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये–

<u>निर्माण कार्य प्रस्तावित करने हेतु आवश्यक बिन्दु–</u>

- नये निर्माण कायों के प्रस्ताव एवं स्पिल ओवर के प्रस्ताव हेतु यू–डायस कोड अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।निर्माणाधीन कार्यो को बरीयता प्रदान करते हुये निर्माण तथा स्पिल ओवर कार्यों को अनिवार्य रूप से आवर्ती वर्ष के लिए प्रस्तावित किया जाय।
- शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 (2) के आलोक में सभी राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ढांचागत सुविधाएं अधिनियम की अनुसूची के बिन्दु–02 अनुसार उपलब्ध करायी जानी है।
- सभी ढांचागत सुविधाएं प्रस्तावित करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाये एवं इस हेतु अपने जनपद के जिलाधिकारी से भूमि उपलब्धता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाये।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 631 / 2004 के अनुपालन में समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं यथा–पेयजल, शौचालय, विद्युतीकरण, रैम्प, खेल का मैदान, चहारदीवारी, छात्र संख्या के अनुपात से अतिरिक्त कक्षा–कक्ष इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। यदि आपके जनपद में उक्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न हो पायी हों तो इन सुविधाओं को तद्नुसार सर्व शिक्षा अभियान के नियमों के अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 में आवश्यक रूप से प्रस्तावित करना सुनिश्चित करें।
  पेयजल सभी विद्यालयों में DWM के माध्यम से Convergence के द्वारा प्रस्तावित किया जाना है।
- ग्रामीण क्षेत्र के सभी विद्यालयों में शौचालय सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (निर्मल भारत अभियान) के माध्यम से Convergence के द्वारा प्रस्तावित किया जाना है।

- विद्युतीकरण हेतु उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन से समन्वय स्थापित विद्युतीकरण कार्य सम्पादित किया जाये।तथा आंतरिक फिटिंग हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत धनराशि प्रस्तावित की जानी है।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बालक–बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय उपलब्ध कराये जाने हैं। सभी विद्यालयों में बालिका शौचालय के साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर बड़ी आयु की लड़कियों के लिए पर्यावरणात्मक दृष्टि से सुरक्षित डस्टबिन का प्राविधान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया जाये।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका 631/2004 में Convergence के माध्यम से उपलब्ध कराये गये पेयजल एवं शौचालय की सूची कार्ययोजना में दर्शायें तथा Convergence के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी मूलभूत सुविधाओं को सुविधायुक्त विद्यालयों में जोड़ते हुए शेष gap को वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 में प्रस्तावित करें।
- प्रत्येक विद्यालय में खेल का मैदान उपलब्ध हो ताकि बच्चों को खेलने के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके। इस हेतु जनपदों के जिलाधिकारियों के सहयोग से मनरेगा, पाइका इत्यादि योजनाओं के माध्यम से खेल के मैदान बनाये जा सकते हैं।
- भवनहीन विद्यालय यथा– जो टैंट में, किराये के भवनों में या पंचायत घरों में संचालित किये जा रहे हैं उन्हें नवीन भवन हेतु वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है किन्तु भूमि की उपलब्धता का प्रमाण–पत्र देना होगा।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत यू–डायस में इंगित छात्र संख्या के अनुरूप अतिरिक्त कक्षा–कक्षोंकी स्वीकृति प्राप्त होनी है। इस हेतु छात्र संख्या एवं कक्षा–कक्षों का भलीभाँति Calculation कर अतिरिक्तकक्षा–कक्ष प्रस्तावित करें एवं इसकी सूची राज्य परियोजना कार्यालय को हार्ड एवं सॉफ्ट कापी में उपलब्ध करायें।
- जनपदों से कुछ ऐसे विद्यालयों जिनमें पर्याप्त भूमि की उपलब्धता है, उनको समग्र स्कूल विकास (WholeSchool development plan) के अन्तर्गत प्रस्तावित करना सुनिश्चित करें। Environment Assessment, & Measured School Campus plan पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिला परियोजना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
- सभी विद्यालयों में Asset Register बनाये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिला परियोजना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
- यदि किसी कारणवश निर्माण कार्य यथा– नवीन निर्माण, पुनर्निर्माण, शौचालय, पेयजल इत्यादि का कार्य प्रारम्भ न हो पाया हो व धनराशि स्पिल न होने के कारण लैप्स हो चुकी हो, ऐसे कार्यों का विवरण ऑडिटेड बैलेंस सीट एवं उस वर्ष की स्वीकृत पी0ए0बी0 मिनट्स सहित प्रस्तुत करें ताकि भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को समर्पण करने हेतु पी0ए0बी से आग्रह किया जा सके।
- जनपद द्वारा प्रस्तावित स्पिल ओवर के सापेक्ष स्वीकृत बजट यदि प्रस्तावित से अधिक है तो इसका विवरण राज्य परियोजना निदेशक को सम्बोधित पत्रालेख सहित उपलब्ध करायें ताकि प्रस्ताव को पी0ए0बी0 के सम्मुख रखा जा सके।

वृहद मरम्मत/पुर्ननिर्माण एवं चहारदीवारी–

- वृहद मरम्मत कार्यों के विस्तृत आगणनों में फोटोग्राफ सहित इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि मरम्मत योग्य विद्यालय भवन 10 वर्ष से पूर्व निर्मित है तथा मरम्मत कार्य कराने से पूर्व एवं कार्य होने के पश्चात् का फोटोग्राफ का रख–रखाव जिला परियोजना कार्यालय में किया जायेगा।
- आगणनों के प्रतिवेदन में मरम्मत कार्य का पूर्ण विवरण आवश्यक रूप से अंकित किया जाये तथा आगणन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।
- विद्यालय भवन के पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध मे जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिशासी अभियन्ता द्वारा जारी विद्यालय भवन के निष्प्रयोज्य प्रमाण पत्र तथा पुर्ननिर्माण कार्यों की सूची संलग्न की जाये। Existing विद्यालयों में भूकम्परोधी तकनीकी का उपयोग करने हेतु Retrofitting के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है।
- वृहद मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण सम्बन्धी आगणन सुस्पष्ट एवं विधिवत् बाइडिंग करते हुए दो प्रतियों में तैयार किये जायें। आगणन गठन से पूर्व इस बात का ध्यान रखा जाये कि मरम्मत योग्य विद्यालय भवन के प्रस्तावित मरम्मत का कार्य किसी अन्य बजट से स्वीकृत या प्रस्तावित न किया गया हो।
- आगणन गठित करते समय समस्त औपचारिक तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप हो।
- यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं, वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं। स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य प्रस्तावित करना सुनिश्चित करें।
- मरम्मत कार्य आगणन के साथ सक्षम अधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न की जाये। वृहद मरम्मत के कार्यों की सूची संलग्न की जाये।
- प्रस्तावित विद्यालय भवनों में चहारदीवारी प्रस्तावित करते समय प्रस्तावित विद्यालय भवन का नजरी नक्शा तथा प्रस्तावित चहारदीवारी को दर्शाना होगा जिस पर अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं जिला परियोजना अधिकारी व प्रस्तावित चहारदीवारी की सूची संलग्न की जाये।
- आपके जनपद द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 हेतु प्रस्तावित प्रत्येक निर्माण कार्य की विद्यालयवार/विकासखण्डवार/विधानसभावार सूची राज्य परियोजना कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जानी है।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 के निर्माण हेतु आपको सारणियां अविलम्ब प्रेषित की जांयेगी, अभ्यास हेतु विगत वर्ष प्रेषित की गयी सारणियों पर नियोजन प्रारम्भ करें। कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

संलग्नक–यथोपरि।

(डॉ0 कुसुम पन्त)
अपर राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।

पृष्ठांकनसंख्या अ0रा0प0नि0 216 नि0का0–पी0ए0बी0/2013–14तददिनांक।
प्रतिलिपि–विशेषज्ञ नियोजल पटल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीया
27.12.13

(डॉ0 कुसुम पन्त)
अपर राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।

१८